क्रम–संख्या–117

रजिस्ट्रेशन नं0–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू/एन0पी0–91/2014–19
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–3, खण्ड (क)
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक

लखनऊ, सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2024
31 आषाढ़, शक सम्वत् 1946

विधान परिषद् सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या-729/वि0प0-23सं0/98
लखनऊ, दिनांक 22 जुलाई, 2024

अधिसूचना

विविध

सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा-2(ज) के अन्तर्गत दिनांक 22 जुलाई, 2024 से **श्री लाल बिहारी यादव,** सदस्य, विधान परिषद् को विधान परिषद् में **नेता विरोधी दल** के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गयी है।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 13 राजपत्र (105)-22-07-2024-585+25 प्रतियां (कम्प्यूटर)।